न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 65/11

1. कैलाश चन्द आत्मज श्री गोविन्द लाल जाति महाजन निवासी अमरकटला बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. मांगी बाई विधवा श्री गोविन्द लाल जाति महाजन निवासी अमरकटला बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी (नाम तर्क) ।
3. जगदीश आत्मज श्री गोविन्द लाल जाति महाजन निवासी अमर कटला बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. छीतर आत्मज श्री कान्हा जाति अहीर निवासी ग्राम झरबालापुरा तहसील एवं जिला बून्दी।
2. मोती लाल आत्मज श्री परमानन्द जाति अहीर निवासी झरबालापुरा ।
3. रामकन्या पुत्री श्री परमानन्द जाति अहीर निवासी झरबालापुरा ।
4. गोपाली पुत्री श्री परमानन्द जाति अहीर निवासी झरबालापुरा ।
5. गट्टू बाई बेवा श्री गोपाल जाति अहीर निवासी झरबालापुरा ।
6. चौथमल आत्मज श्री गोपाल जाति अहीर निवासी झरबालापुरा ।
7. लादू लाल आत्मज श्री गोपाल जाति अहीर निवासी झरबालापुरा ।
8. कंचन बाई विधवा श्री गणेश जाति अहीर निवासी झरबालापुरा ।
9. महावीर आत्मज श्री गणेश जाति अहीर निवासी झरबालापुरा ।
10. कालू आत्मज श्री गणेश जाति अहीर निवासी झरबालापुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
11. लक्ष्मीकुमार आत्मज स्वर्गीय श्री गिरिराजमल जाति महाजन निवासी अमरकटला बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
12. राजेन्द्र कुमार आत्मज स्वर्गीय श्री गिरिराजमल जाति महाजन निवासी अमरकटला बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
13. महेन्द्र कुमार आत्मज स्वर्गीय श्री गिरिराजमल जाति महाजन निवासी अमरकटला बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
14. विमला देवी विधवा श्री गिरिराजमल जाति महाजन निवासी अमरकटला बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
15. नारायण आत्मज स्वर्गीय श्री रामकल्याण जाति महाजन निवासी अमरकटला बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
16. राजेश आत्मज स्वर्गीय श्री रामकल्याण जाति महाजन निवासी अमरकटला बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री सुरेन्द्र नारानीवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 07.06.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2011 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम झरबालापुरा तहसील एवं जिला बून्दी में खसरा नम्बर 844 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 805 रकबा 08 बिस्वा गैर मु0 चाह एवं खसरा नम्बर 848 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा कुल 03 किता की रकबा 12 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण के शामलाती खातेदारी अधिकारों की भूमि है । उक्त भूमि वादीगण के पूर्वजों ने प्रतिवादीगण के पूर्वजों को रहन रखी थी तब से राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि प्रतिवादीगण के पूर्व मदनलाल, रामकल्याण, गिरिराज पि0 गोपीलाल जाति महाजन निवासी बून्दी के मु0बि0क0 चली आ रही है । वादीगण के पूर्वजों ने प्रतिवादीगण के पूर्वजों को कब्जा भी संभलाया था । वादीगण ने अपने खातेदारी की उक्त भूमि को प्रतिवादीगण से रहन छुडा लिया था । उक्त भूमि को वादीगण ने अपने कब्जे में लेकर 06 वर्ष तक स्वयं काश्त करी थी लेकिन बाद में प्रतिवादीगण ने दिनांक 15.10.1998 को नाजायज ताकत के बल पर कब्जा कर लिया जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं था ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी का कब्जा वादी को संभला दे ।

4. प्रतिवादी कम 1, 2 व 3 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादीगण का वाद खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2011 के द्वारा वादी का वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में पूर्व में ही खारिज कर दिये जाने का उल्लेख करते हुए प्रतिवादी कम 1, 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2011 से व्यथित होकर प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 3 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 3 लगायत 10 के पूर्वजों ने अपीलान्ट के पिता गोविन्द लाल व रेस्पोडेन्ट क्रम 11 से 16 के पूर्वजों के विरूद्ध पूर्व में दिनांक 26.06.1978 को वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में धारा 43 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद संख्या 65/दावा/78 अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसमें दावे की चरण संख्या 3 में उक्त भूमि को गोपीलाल व अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय श्री भंवर लाल के यहाँ भूम रहन रखने का अभिवचन किया था और पक्षकारान ने उक्त वाद में दिनांक 29.08.1978 को राजीनामा प्रस्तुत किया था । उक्त भूमि गोविन्द लाल जी के खाते में अंकित करने में कोई आपत्ति नहीं होने का व अपीलान्ट के पिता का ही भूमि पर कब्जा होने का अभिवचन किया था । फिर भी काउन्टर क्लेम खारिज कर दिया । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पिता सन् 1978 से खातेदार के रूप में काश्त करते चले आ रहे हैं और उनकी मृत्यु के बाद अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । रहन का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में होना आवश्यक नहीं है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकार धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत समाप्त हो चुका है और कानूनन अपीलान्ट उक्त भूमि के खातेदार बन चुके हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2011 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट वाबजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 10 ने अपीलान्ट ओर रेस्पोडेन्ट क्रम 4 लगायत 9 के विरूद्ध एक दावा वादग्रस्त आराजी के बाबत् अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया जिसमें अपीलान्टगण ने काउन्टर क्लेम पेश किया था । वादी का दावा दिनांक 23.04.2010 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया । इसके उपरान्त अपीलाधीन निर्णय से अपीलान्ट का काउन्टर क्लेम खारिज किया है । रेस्पोडेन्टगण के पूर्वजों ने वादग्रस्त आराजी को अपीलान्ट के पिता के यहाँ रहन रखने का अभिवचन किया है और पक्षकारान द्वारा उस दावे में दिनांक 29.08.1978 को राजीनामा पेश किया था और राजीनामे में गोविन्द लाल के खाते में दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं होने का व अपीलान्ट के पिता का ही भूमि पर कब्जा होने का अभिवचन किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने काउन्टर क्लेम को खारिज किया है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय गोविन्द लाल सन् 1978 से खातेदार काश्तकार की हैसियत से काश्त कर रहे थे । रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने भी यही बयान दिया है कि वादग्रस्त आराजी को अपीलान्ट एवं उनके पिता काश्त कर रहे हैं । अपीलान्ट ही इस आराजी का लगान दे रहे हैं । रेस्पोडेन्टगण द्वारा अपीलान्ट के खाते में आराजी दर्ज करने में अनापत्ति की गई थी फिर भी अपीलान्टगण का काउन्टर क्लेम खारिज किया गया है । रेस्पोडेन्ट का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो चुका है । जो तथ्य एडमिटेड हैं उनको धारा 54 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2011 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि प्रतिकूल कब्जे के बारे में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय सीताराम/ जगदीश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन अदेश पारित किया हुआ है । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 2015 पेज 556, आरआरडी 2018 पेज 715, आरआरडी 2011 पेज 508, एआईआर (एससी) 2003 पेज 1905 उद्धरत की ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा वादीगण रेस्पोडेन्ट छीतर व अन्य ने अपीलान्टगण के खिलाफ धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जिसमें अपीलान्टगण ने काउन्टर क्लेम पेश किया । उक्त वाद दिनांक 02.11.2010 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हुआ है उसके उपरान्त काउन्टर क्लेम दिनांक 30.03.2011 को खारिज किया गया है । काउन्टर क्लेम मुख्य रूप से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर क्लेम किया गया है । साथ ही यह भी कथन किया गया है कि आराजी पारिवारिक समझौते से गोविन्द लाल के खाते में आई है । भूमि मदन, रामकल्याण एवं गिरिराज के रहन थी गोविन्द लाल के रहन नहीं थी । वैसे भी आराजी रहन होने एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच के निर्णय आरआरडी 2011 पेज 508 के अनुसार प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते ।

10. विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन है कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय आरआरडी 2011 पेज 508 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है परन्तु माननीय उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के निर्णय को आरआरटी 2016 (2) पेज 791, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय डीएनजे 2013 (एससी) पेज 948, 2018 (1) सीजे (सिविल) पेज 44 के अनुसार भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलान्ट का काउन्टर क्लेम खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2011 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 07.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 65 / 11

1. कैलाश चन्द आत्मज श्री गोविन्द लाल जाति महाजन निवासी अमरकटला बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. मांगी बाई विधवा श्री गोविन्द लाल जाति महाजन निवासी अमरकटला बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी (नाम तर्क) ।
3. जगदीश आत्मज श्री गोविन्द लाल जाति महाजन निवासी अमर कटला बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।

—–अपीलार्थी

बनाम

1. छीतर आत्मज श्री कान्हा जाति अहीर निवासी ग्राम झरबालापुरा तहसील एवं जिला बून्दी।
2. मोती लाल आत्मज श्री परमानन्द जाति अहीर निवासी झरबालापुरा ।
3. रामकन्या पुत्री श्री परमानन्द जाति अहीर निवासी झरबालापुरा ।
4. गोपाली पुत्री श्री परमानन्द जाति अहीर निवासी झरबालापुरा ।
5. गट्टू बाई बेवा श्री गोपाल जाति अहीर निवासी झरबालापुरा ।
6. चौथमल आत्मज श्री गोपाल जाति अहीर निवासी झरबालापुरा ।
7. लादू लाल आत्मज श्री गोपाल जाति अहीर निवासी झरबालापुरा ।
8. कंचन बाई विधवा श्री गणेश जाति अहीर निवासी झरबालापुरा ।
9. महावीर आत्मज श्री गणेश जाति अहीर निवासी झरबालापुरा ।
10. कालू आत्मज श्री गणेश जाति अहीर निवासी झरबालापुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
11. लक्ष्मीकुमार आत्मज स्वर्गीय श्री गिरिराजमल जाति महाजन निवासी अमरकटला बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
12. राजेन्द्र कुमार आत्मज स्वर्गीय श्री गिरिराजमल जाति महाजन निवासी अमरकटला बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
13. महेन्द्र कुमार आत्मज स्वर्गीय श्री गिरिराजमल जाति महाजन निवासी अमरकटला बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
14. विमला देवी विधवा श्री गिरिराजमल जाति महाजन निवासी अमरकटला बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
15. नारायण आत्मज स्वर्गीय श्री रामकल्याण जाति महाजन निवासी अमरकटला बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।

राजेश आत्मज स्वर्गीय श्री रामकल्याण जाति महाजन निवासी अमरकटला बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिकी दिनांक 30.03.2011 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 243 / दावा / 2010

1. छीतर आत्मज श्री कान्हा जाति अहीर निवासी ग्राम झरबालापुरा तहसील एवं जिला बून्दी।
2. मोती लाल आत्मज श्री परमानन्द जाति अहीर निवासी झरबालापुरा ।
3. रामकन्या पुत्री श्री परमानन्द जाति अहीर निवासी झरबालापुरा ।
4. गोपाली पुत्री श्री परमानन्द जाति अहीर निवासी झरबालापुरा ।
5. गट्टू बाई बेवा श्री गोपाल जाति अहीर निवासी झरबालापुरा ।
6. चौथमल आत्मज श्री गोपाल जाति अहीर निवासी झरबालापुरा ।
7. लादू लाल आत्मज श्री गोपाल जाति अहीर निवासी झरबालापुरा ।
8. कंचन बाई विधवा श्री गणेश जाति अहीर निवासी झरबालापुरा ।
9. महावीर आत्मज श्री गणेश जाति अहीर निवासी झरबालापुरा ।
10. कालू आत्मज श्री गणेश जाति अहीर निवासी झरबालापुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. कैलाश चन्द आत्मज श्री गोविन्द लाल जाति महाजन निवासी अमरकटला बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. मांगी बाई विधवा श्री गोविन्द लाल जाति महाजन निवासी अमरकटला बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी (नाम तर्क) ।
3. जगदीश आत्मज श्री गोविन्द लाल जाति महाजन निवासी अमर कटला बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. लक्ष्मीकुमार आत्मज स्वर्गीय श्री गिरिराजमल जाति महाजन निवासी अमरकटला बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
5. राजेन्द्र कुमार आत्मज स्वर्गीय श्री गिरिराजमल जाति महाजन निवासी अमरकटला बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
6. महेन्द्र कुमार आत्मज स्वर्गीय श्री गिरिराजमल जाति महाजन निवासी अमरकटला बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।

7. विमला देवी विधवा श्री गिरिराजमल जाति महाजन निवासी अमरकटला बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
8. नारायण आत्मज स्वर्गीय श्री रामकल्याण जाति महाजन निवासी अमरकटला बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
9. राजेश आत्मज स्वर्गीय श्री रामकल्याण जाति महाजन निवासी अमरकटला बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
10. बरजी बाई आयु 65 वर्ष पत्नी श्री रामकल्याण जी जाति महाजन निवासी अमर कटला बून्दी।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2011 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 07.06.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री सुरेन्द्र नारानीवाल एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.03.2011 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 07.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा